Witness No...........**02**..........for...**अभियोजन साक्ष्य**............Deposition taken

the...**15-02-2024**......day of .. **गुरूवार**....Witness's apparaentage **...27**..

States of affirmation..**शपथपूर्वक**.......my name **.......दुष्यंत सिन्हा.**..........

son/wife of **....श्री किरण सिन्हा**.... occupation **...ड्रायवर..**

address**.....कोकपुर, थाना कांकेर, जिला उ.ब.कांकेर छ.ग.**.....
(साक्ष्य प्रारंभ—11:50 बजे)

मुख्य परीक्षण द्वारा सुश्री रीना देहारी ए0डी0पी0ओ0 वास्ते राज्य

01— मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी हरिदास राय एवं सोनू नाग को जानता पहचानता नहीं हूं। गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित फोटो दिखाकर पहचान करवायी गयी।

02— मुझे पुलिस वालो के द्वारा किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है। मेरे समक्ष आरोपीगण के द्वारा किसी प्रकार का कोई बयान पुलिस वालों को नही दिया गया है। मेरे समक्ष किसी प्रकार की जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नही हुई है। नोटिस धारा 160 दप्रसं प्रपी—07, मेमोरण्डम कथन प्रपी—08 एवं 09, जप्ती पत्रक प्रपी—10 एवं 11 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—12 एवं 13 दिखाये जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया। जप्ती पत्रक प्रपी—04 दिखाये जाने पर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया। मैं अपने दोस्त के शादी कार्ड का कार्ड थाना कांकेर में पदस्थ अपने दोस्त(पुलिस जिसका नाम आज मुझे याद नहीं) को देने के लिये थाना कांकेर में गया था, तब मैंने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। मैने उक्त दस्तावेजो पर बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किया था। मुझे प्रपी—07 से 13 एवं प्रपी—04 कार्यवाही के बारे में जानकारी नही है।

टीपः— इसी स्तर पर ए0डी0पी0ओ0 द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। अभिलेख के अवलोकन के बाद अनुमति दी गयी।

03— मुझे आज याद नही है कि पुलिस वाले मुझे कार्यवाही में सहयोग करने हेतु प्रपी—07 का नोटिस दिये थे। साक्षी को मेमोरंडम कथन प्रपी—08 के ब से ब भाग को पढ़कर सुनाये जाने पर आरोपी हरिदास राय ने मेरे समक्ष ऐसा

बयान दिया है से इंकार किया। साक्षी को मेमोरंडम कथन प्रपी–09 के ब से ब भाग को पढ़कर सुनाये जाने पर आरोपी सोनू नाग ने मेरे समक्ष ऐसा बयान दिया है से इंकार किया।

04– यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष दिनांक 02.08.2022 को समय 16:00 बजे योगेश लाल यादव के पेश करने पर वाहन क्र.सी.जी.17 एच.2322 का दस्तावेज जप्तकर जप्ती पत्रक प्रपी–10 तैयार किया। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष दिनांक 01.08.2022 को समय 18:00 बजे आरोपी हरिदास राय एवं सोनू नाग के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्रपी–11 में उल्लेखित संपत्ति को जप्तकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष प्रार्थी राकेश देवनाथ के पेश करने पर जगन्नाथ किराना स्टोर के नाम का राकेश कुमार, अनिल कुमार, किराना स्टोर का बिल क्र.158, जगन्नाथ किराना के नाम का बिल क्र.4560, जगन्नाथ किराना के नाम का बिल क्र.5646 को जप्तकर जप्ती पत्रक प्रपी–04 तैयार किये थे।

05– मैं स्नातक किया हुआ है और सामान्य तौर पर किसी दस्तावेज पढकर हस्ताक्षर करता हूं। यह कहना गलत है कि आरोपी को बचाने के लिये आज न्यायालय में सही बात नही बता रहा हूं।

<u>/ /प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री विधि मेहता अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त सोनूराम / /</u>

06– यह कहना सही है कि प्रपी–07 से 13 एवं प्रपी–04 पर मैने थाने में एक साथ हस्ताक्षर किया था। मुझे आज याद नही है कि उस समय उक्त दस्तावेजो पर लिखा पढी नही हुआ था।

<u>/ /प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त हरिदास / /</u>

07– मुझे आज इस बात की जानकारी नही है कि पुलिस वाले नोटिस दिये थे कि नहीं। यह कहना सही है कि मैने थाने मे जितने भी दस्तावेज थे पुलिस वाले के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

(साक्ष्य समाप्त–12.10 बजे)

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। **मेरे निर्देशन पर टंकित।**
सही होना पाया।

बयानकर्ता के हस्ताक्षर

सही / –	**सही / –**
(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)	**(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
उ0ब0 कांकेर (छ.ग.)	**उ0ब0 कांकेर (छ.ग.)**